सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 423 राँची, सोमवार, 8 सितम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

13 अगस्त, 2025

आदेश सं०-3/आरोप-11-16/2025 का०- 4850--श्री उज्जवल कुमार सोरेन, झ०प्र०से० (कोटि क्रमांक-598/20), अंचल अधिकारी, ओरमांझी, राँची के विरूद्ध परिवादी श्री तेजनाथ महतो, पिता स्व० केदला महतो, ग्राम कुच्चू, महुआटोली, ओरमांझी द्वारा दिनांक 20.03.2025 को परिवाद पत्र समर्पित किया गया ।

परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री महतो द्वारा दिनांक 06.12.2024 को आवेदन समर्पित किये जाने के बावजूद श्री उज्जवल कुमार सोरेन, अतिरिक्त भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, ओरमांझी, बड़ा बाबू श्री बीमल मुण्डा एवं बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक द्वारा मिलीभगत तथा षड्यंत्र कर भारतमाला परियोजना (गोला-ओरमांझी) ओरमांझी अंचल के तापे मौजा में अवस्थित खाता नं०-221, प्लॉट नं०-1264, रकवा-1.00 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि 1,75,82,329.00 रूपये इनके भारतीय स्टेट बैंक के एकल खाता सं०-39731685621 में न भेजकर बैंक ऑफ इंडिया के Joint A/C No. 491610100008395 (Tejnath Mahto & Krishna Kumar Mahto) में भेज दिया गया है ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2041, दिनांक 07.04.2025 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, राँची से परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा आरोप सत्य पाये जाने में संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उपायुक्त, राँची के पत्रांक-627, दिनांक 04.07.2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-4473/गो०, दिनांक 20.06.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी ।

उपायुक्त, राँची द्वारा अंकित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि भारतमाला सड़क मार्ग परियोजना अन्तर्गत मौजा-तापे के खाता सं०-221, प्लॉट सं० 1264, रकवा-0.85 ए० भूमि अधिग्रहण की गई, जिसके विरूद्ध में रैयत तेजनाथ महतो एकल खाते में मुआवजा राशि का भुगतान बैंक ऑफ इंडिया ओरमांझी के खाता सं०-491610210000003 IFSC Code-BKID0004916 में दिनांक 16.04.2025 को राशि 1,75,80,039.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार उनचालीस) रूपये भुगतान की गई है ।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री उज्जवल सोरेन, अंचल अधिकारी, ओरमांझी, राँची पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद प्रतीत होता है ।

अतः समीक्षोपरात, उपायुक्त, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उज्जवल कुमार सोरेन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-598/20), अंचल अधिकारी, ओरमांझी, राँची से संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 423 - 50